सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 191 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :— 11.09.2023

1. मांगीलाल आ0 मोतीलाल जाति कुमावत निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार आ0 नोलकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली।
2. शिवराज आ0 नोलकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली।
3. ललिता पुत्री नोलकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली।
4. कोशल्या पत्नी स्व0 नोलकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली।

अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— महेश नामा

दिनांक :— 31 / 01 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के सयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 153 खसरा संख्या 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1606, 1607, 1608, 1610, 1611, 1612, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629 कुल किता 24 कुल रकबा 8.9515 हैक्टेयर वाके ग्राम बडोदिया पटवार मण्डल बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि चाह नम्बर 1555 से सिंचित होती है। चाह नम्बर 1555 में एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का 1 / 5 हिस्सा निहित है। चाह नम्बर 1555 से उपरोक्त भूमि की सिंचाई होती है, प्रार्थी को उक्त खसरे पर पहुंचने के लिए रिकोर्डेड रास्ता जो खसरा संख्या 1587 में विस्थित है, जो प्रार्थी की भूमि से बडोदिया गांव तक जाता है, प्रार्थी को अपने कुए पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1566 में होकर निकलता आ रहा है, तथा रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार रास्ते की चौडाई करीब 15 फिट चोडी है। उक्त रास्ता कदीमी है, जिसका उपयोग प्रार्थी के द्वारा पीढीयों से किया जा रहा है। भूमि खसरा संख्या 1566 के खातेदार अप्रार्थीगण है, जिसने उक्त रास्ते के उपयोग में कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं किया, परन्तु अभी जून 2023 में अपने खेत की लेवल करवाते रास्ते पर अतिक्रमण करने की नियत से रास्ते को सकडा दिया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थी ने एतराज किया तो अप्रार्थीगण ने का कि अभी खेत लेवल कर लेने दो, आषाढ के पहले रास्ते को चौडा करवाकर सम्भला देंगे, परन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा नहीं किया एवं अभी दिनांक 30.08.2023 को स्पष्ट मना करते हुए कहा कि हमारे खेत में होकर नहीं निकालने देगे, यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है। प्रार्थी को अपने खाते के खेतो को चाह नम्बर 1555 से सिंचित करने तथा अपने खाते के खेतो से चाह नम्बर 1555 तक आने जाने हेतु रास्ता का अधिकार है, परन्तु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने का लाभ उठाकर अप्रार्थीगण के द्वारा अवरोध उत्पन्न कर दिया है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, राजस्व रास्ता खसरा संख्या 1587 के सहारे अभी भी रास्ता बना हुआ है, जो खसरा संख्या 1566 के मध्य में विस्थित है। प्रार्थी को अधिकार है कि अपने खाते की भूमि से चाह नम्बर 1555 में आने जाने एवं चाह नम्बर 1555 से खेतो को सिंचित करने व भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1566 के मध्य करीब 15 फिट चोडा रास्ता घोषित करवाये। कीमत भूमि प्रार्थी वहन करने हेतु तैयार है। विवादित भूमिया वाके ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि से चाह नम्बर 1555 में आने जाने एवं चाह नम्बर 1555 से खेतों को सिंचित करने व भूमि पर आने जाने हेतु रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1587 तक जाने हेतु खसरा संख्या 1566 के मध्य करीब 15 फिट चोडा रास्ता घोषित करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि संख्या 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1606, 1607, 1608, 1610, 1611, 1612, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629 कुल किता 24 कुल रकबा 8.9515 हैक्टेयर वाके ग्राम बडोदिया पटवार मण्डल बडोदिया में स्थित चाह नम्बर 1555 पर आने जाने हेतु रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 1587 से खसरा संख्या 1566 में से 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में स्थित चाह नम्बर 1555 में आने–जाने हेतु वाके ग्राम बडौदिया के खसरा संख्या 1566 में से रास्ता प्रस्तावित किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गया है उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है वर्तमान में रास्ता चालू है उक्त खसरा संख्या अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 153 खसरा संख्या 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1606, 1607, 1608, 1610, 1611, 1612, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629 कुल किता 24 कुल रकबा 8.9515 हैक्टेयर वाके ग्राम बडोदिया पटवार मण्डल बडोदिया में स्थित चाह नम्बर 1555 तक आने—जाने हेतु वाके ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया पर तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडौदिया के खसरा नम्बर 1566 जो कि अप्रार्थी राजेश कुमार पिता नोलकचन्द्र वगै0 जाति ब्राहम्ण की खातेदारी में दर्ज है जिसमें से 132 फीट लम्बा व 15 फीट चौडे रास्ते में कुल (0.0184 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली की मुताबिक गणना टी0आर0ए0 के डीएलसी राशि 1428040/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 1566 में से रकबा 0.0184 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 26276/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 52552/रू— का भुगतान सम्बन्धित सम्बन्धित काश्तकार को भुगतान करवाने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 31.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

31/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)